बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
संकल्प

संचिका संख्या–03/आ०1–122/2024....................../चूँकि महामहिम राज्यपाल महोदय को विश्वास होने का कारण है कि श्री रजनीकान्त प्रवीण, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध आरोप पत्र में गठित आरोपों यथा– निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की छापेमारी में आय से अधिक सम्पति प्राप्त होना, पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत विद्यालयों में जलापूर्ति हेतु अधिष्ठापित सबमर्सिबल पम्प/बोरिंग की वास्तविक गहराई से अधिक गहराई का भुगतान करना, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रावधानों के विपरीत कार्य करना इत्यादि आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित हैं।

2. उक्त प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों की वृहत जाँच हेतु सरकार ने संकल्प लिया कि श्री रजनीकान्त प्रवीण के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 (समय–समय पर यथा–संसोधित) के नियम 17 के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गई।

3. संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा इस अनुशासनिक कार्यवाही में पुनः आगे जाँच करने का निर्णय लिया गया है। तत्कालीन संचालन पदाधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

4. अतः सरकार ने संकल्प लिया है कि नए जाँच/संचालन पदाधिकारी का नियुक्ति कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 (समय–समय पर यथा–संसोधित) के नियम 18(1) के प्रावधानों के तहत पुनः आगे की जाँच करायी जाए। श्री रजनीकान्त प्रवीण के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों में पुनः आगे जाँच हेतु श्री विजय कुमार, अपर सचिव, शिक्षा विभाग, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्ववत उपस्थापन पदाधिकारी रहेंगे।

5. संचालन पदाधिकारी निर्धारित तीन माह के अन्दर विहित प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए अपना जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि संकल्प अनुबंध, आरोप पत्र एवं साक्ष्य तालिका की प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(मनोरंजन कुमार)

निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक–03/आ०1–122/2024..../347339.... पटना, दिनांक....09.01.2026....

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी (वै.दा.नि.को.), वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) बिहार राज्य के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ श्री विजय कुमार, अपर सचिव, शिक्षा विभाग, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर–सह–उपस्थापन पदाधिकारी/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/श्री रजनीकान्त प्रवीण, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया सम्प्रति निलंबित (निलंबन मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ) तथा प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
Date: 09-01-2026 11:56:18